न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी।
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–708/2026

मो0 शोयेब रिफाकत आयु लगभग 37 साल पुत्र रिफाकत अली सिद्दीकी, निवासी जुलाही टोला,कस्बा बिसवां थाना बिसवां जिला सीतापुर।

——— प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार – विपक्षी।

अपराध सं–660/2025
धारा–318(4),338,336(3),340(2)बीएनएस
थाना–कोतवाली
जिला–बाराबंकी।

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता	मंजूषा कपिल
अभियोजन पक्ष की ओर से	श्री अमित कुमार अवस्थी, प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0)बाराबंकी ।
जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने का दिनांक	27.02.2026
जमानत प्रार्थनापत्र निस्तारण का दिनांक	12.03.2026

निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र

यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से मय शपथपत्र प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा उल्लिखित किया गया है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान प्रभारी शासकीय अधिवक्ता(फौ0) को जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना गया व उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

सक्षेंप में अभियोजन कथानक है कि अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि उपायुक्त (वि0अनु0शा0 राज्य कर, अयोध्या सम्भाग–बी, अयोध्या द्वारा इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण करने के उपरांत अयोध्या सम्भाग बी के क्षेत्राधिकार में पंजीकृत फर्म सर्वश्री निर्भय इण्टरप्राइजेज, सिद्धार्थनगर नबीगंज मौलाना मुजीब रोड, बाराबंकी, GSTIN-09AKLPN9020G1ZY (केन्द्रीय क्षेत्राधिकार से संबंधित) के घोषित व्यापार स्थल की जांच दिनांक 11.02.2025 को वि0अनु0शा0 इकाई सम्भाग–बी, अयोध्या द्वारा सम्पादित की गयी। जांच टीम फर्म के दिये गये पते पर पहुँची। व्यापार स्थल पर पता सिद्धार्थनगर नबीगंज मौलाना मुजीब रोड, बाराबंकी घोषित है। सिद्धार्थनगर नबीगंज में फर्म के बारे में काफी पूछताछ की गयी, परन्तु किसी भी व्यक्ति द्वारा फर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा सकी। फर्म द्वारा पंजीयन केन्द्रीय क्षेत्राधिकार में दिनांक 06.05.2024 को वुड एण्ड टिम्बर हेतु प्राप्त किया गया है तथा फर्म स्वामी श्री निर्भय नायक,

Digitally signed by PRATIMA SRIVASTAVA
Date: 2026.03.12 17:18:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Barabanki

भोपाल के रहने वाले है। फर्म के व्यापार स्थल के सम्बन्ध में में श्री सिद्धार्थ पाण्डेय पुत्र श्री सोमनाथ पाण्डेय, निवासी–नवीगंज बाराबंकी के बिजली का बिल संलग्न है, जो जांच पर फर्जी पाया गया। बिजली के बिल पर अंकित कोड को स्कैन करने पर बिजली का बिल ओम प्रकाश गुप्ता के नाम का पाया गया। स्पष्ट है कि फर्म अस्तित्व में नहीं है। फर्म द्वारा पंजीयन उपरांत वर्ष 2024–25 में कुल आउटवर्ड सप्लाई रूपये 5716195/– घोषित की गयी है तथा बोगस आईटीसी सर्वश्री सतीश ट्रेडर्स GSTIN–09OORPK3438BIZH को पासऑन की गयी है तथा माह–मई में रू0 402900/– की आईटीसी सर्वश्री संदीप ट्रेडर्स को पासऑन की गयी है। चूंकि फर्म अस्तित्व में नहीं है तथा क्रेता फर्म सर्वश्री संदीप ट्रेडर्स का पंजीयन दिनांक 20.08.2024 को कैसिल है। स्पष्ट है कि बिना माल के बोगस टैक्स इनवाइस जारी की जा रही है तथा आईटीसी पासऑन की जा रही है। इस प्रकार जांच पर फर्म सर्वश्री निर्भय इण्टरप्राइजेज का उक्त व्यापार स्थल अस्तित्वहीन पाया गया। चूंकि फर्म अस्तित्वहीन है तथा केवल इनवाइस का आदान–प्रदान बोगस आई0टी0सी0 हस्तांतरित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है, जो जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा–16 (2) (बी) एवं 16(2) (सी) का उल्लघंन है। फर्म द्वारा पंजीयन उपरांत वितीय वर्ष 2024–25 में रू0 1,02,35,027/–की बोगस आउटवर्ड सप्लाई के माध्यम से रू0 1842304.96/– की बोगस आई0टी0सी0 पासऑन की गयी है। स्पष्ट है कि उक्त फर्म द्वारा मात्र करापर्वचन के उद्देश्य से राजस्व की क्षति हेतु पंजीयन प्राप्त किया गया है। अतः राजस्व हित में उचित होगा कि फर्म सर्वश्री निर्भय इण्टरप्राइजेज, सिद्धार्थनगर नबीगंज मौलाना मुजीब रोड, बाराबंकी, GSTIN-09AKLPN9020GIZY (फर्म स्वामी श्री निर्भय नायक पुत्री श्री महेश नायक, मोबाइल नं0–81760.....) के विरुद्ध युक्तियुक्त धारा के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का कष्ट करें, जिससे कि उपरोक्त फर्म/व्यापारी के विरुद्ध विभागीय स्तर से अन्य विधिक कार्यवाही सम्पन्न की जा सके।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में उल्लिखित आधारों पर तर्क किया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 07.07.2025 को सूचनादाता श्रीमती अल्पना वर्मा, उप आयुक्त (विशेष जांच शाखा), राज्य कर, अयोध्या, डिवीजन बी, अयोध्या द्वारा एम/एस निर्भय एंटरप्राइजेज और उसके मालिक श्री निर्भय नायक के खिलाफ दर्ज करायी गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप है कि उक्त

फर्म एम/एस निर्भय एंटरप्राइजेज, जो कि वुड एंड टिम्बर के व्यवसाय के लिए पंजीकृत थी, अपने घोषित व्यवसायिक परिसर में मौजूद नहीं पाई गई। यह भी आरोप है कि इस फर्म को केवल कर चोरी के उद्देश्य से बनाया गया था और बिना वास्तविक माल की आपूर्ति के बोगस टैक्स इनवॉइस जारी किए गए, जिससे गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का उपयोग जीएसटी अधिनियम की धारा 16(2)(बी)/16(2)(सी) का उल्लंघन करते हुए किया गया। कुल बोगस आईटीसी रूपये 18,42,304.96 और बोगस बाहरी आपूर्ति रूपये 1,02,35,027/—बताई गई है। आवेदक/अभियुक्त का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है और न ही उक्त एम/एस निर्भय एंटरप्राइजेज, अथवा उसके मालिक श्री निर्भय नायक या किसी भी कथित धोखाधड़ी वाले लेनदेन से कोई संबंध है। आवेदक/अभियुक्त को पुलिस द्वारा 18.02.2026 से अवैध रूप से हिरासत में रखा गया था और उसकी गिरफ्तारी 21.02.2026 को हैदरगढ़ से गलत तरीके से दिखाई गई थी। आवेदक/अभियुक्त पूर्ण रूप से निर्दोष है और उसे जांच एजेंसी द्वारा झूठा एवं दुर्भावनापूर्ण तरीके से इस मामले में फंसाया गया है। आवेदक का आरोपित अपराधों से कोई संबंध नहीं है। आवेदक/अभियुक्त के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाया गया है। आवेदक के आरोप का आधार केवल संदेह और अनुमान पर आधारित है, बिना किसी विश्वसनीय या स्वीकार्य सबूत के जो उसे कथित जीएसटी धोखाधड़ी से जोड़ता हो। उपरोक्त आधार पर आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

इसके विपरीत अभियोजन की ओर से प्रभारी शासकीय अधिवक्ता (फौ0) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता है। अभियुक्त को पुलिस द्वारा जब गिरफतार किया गया तो उसके पास से बरामद मोबाईल से उक्त कर चोरी के बावत साक्ष्य पाया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर है। उक्त आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

पुलिस प्रपत्रों के अनुसार आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। पुलिस प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि निर्भय इंटरप्राइजेज सिद्धार्थनगर नबीगंज मौलाना मुजीब रोड बाराबंकी के प्रोपराईटर के विरूद्ध दर्ज करायी गयी है, परन्तु जांच के दौरान उक्त फर्म अस्तित्व में नहीं पायी गयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी दर्शित हो रहा है कि फर्म के स्वामी निर्भय नायक भोपाल के रहने वाले हैं। कथित फर्म से

संदीप ट्रेडर्स तथा सतीश ट्रेडर्स को बोगस टैक्स इनवाईस जारी की जा रही है। पुलिस प्रपत्रों के अवलोकन से परिलक्षित हो रहा है कि अभियुक्त को जब पुलिस द्वारा गिरफतार किया गया तो उसके कब्जे से दो अदद मोबाईल जिसमें एक सिम जिओ कंपनी व दूसरा एअरटेल कंपनी का था। एअरटेल कंपनी वाला सिम आवेदक/अभियुक्त का न होकर उसके मित्र आरिफ का होने का उल्लेख फर्द बरामदगी में है। विवेचना प्रचलित है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 21.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर कोई टिप्पणी न करते हुए आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त मो0 शोयेब रिफाकत उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन–50,000/–रूपये (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान राशि की एक प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि में निष्पादित करने पर दौरान विचारण निम्न शर्तों के अधीन उसे जमानत पर मुक्त किया जाएः–

1–आवेदक/अभियुक्त दौरान मुकदमा किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होगा।

2–अभियोजन पक्ष के साक्षियों को परेशान, प्रताड़ित नहीं करेगा और न ही साक्ष्य को प्रभावित करेगा।

3–आरोप, साक्ष्य, धारा–351 बीएनएसएस के बयान एवं बहस के स्तर पर अनावश्यक स्थगन नहीं चाहेगा तथा विचारण मे पूर्ण सहयोग करेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन पर विचारण न्यायालय को उसकी जमानत निरस्त करने का अधिकार होगा।

दिनांक–12.03.2026

(प्रतिमा श्रीवास्तव)
सत्र न्यायाधीश,
बाराबंकी।
UP1899